NOTE FOR JUSTIFICATION

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 3867(0)।।।(2)/17–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 06.12.2017 के द्वारा प्रथम चरण हेतु कुल रु0 13.40 लाख की प्राप्ति हुई है। प्रस्तावित संरेखण लक्ष्मणझूला–दुग्गडा–हल्दुखाल–धुमाकोट (एस0एच0–9) मोटर मार्ग के किमी0 204 से प्रारम्भ होता है एवं स्वीकृत ल0 4.00 किमी0 में पुलटण्डा की ओर तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कौला मल्ला, कौला तल्ला व पुलटण्डा की कुल 489 की आबादी लाभान्वित होगी जो आज तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी चारा आदि लेने पैदल दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगी जिससे पाल्यों का लालन–पालन व पठन –पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी समस्या दूर होगी। गांवों में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के अवसर मिलेंगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, आनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे तथा स्थानीय लोंगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। इस प्रकार सम्बन्धित ग्रामों का चहुमुखी विकास सम्भव हो पायेगा।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त दो संरेखणों पर विचार किया गया। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया संरेखण उपयुक्त है। जिसमें आम ग्रामवासियों की सहमति है व संरेखण में पेड़ों की संख्या व वन भूमि अपेक्षाकृत न्यूनतम है। इस संरेखण का अधिकांश भाग नाप भूमि से होकर गुजरता है इस संरेखण में टैरेन कास स्लोब 25 से 60 तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि शून्य है सिविल वन भूमि 0.090 हे0 व वन पंचायत भूमि 0.360 हे0 अर्थात कुल वन भूमि 0.450 हे0 एवं नाप भूमि 3.500 हे0 प्रयुक्त की जानी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले चीड़ प्रजाति के कुल पेड़ों की संख्या 73 है मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान या श्मशान का भाग नहीं है।

नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया संरेखण वैकल्पिक संरेखण है इस संरेखण में मार्ग का ग्रेड अधिक होने के कारण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक हो रही है। उक्त को ध्यान में रखते हुए इस संरेखण को निरस्त किया गया है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

जिलाधिकारी
गढ़वाल

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

तहसीलदार
धुमाकोट

राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी खिमलाकोट – 2
तहसील धुमाकोट

वन क्षेत्राधिकारी
दीवा रेज
धुमाकोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल उप वन प्रभाग पौड़ी

उपजिलाधिकारी
धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल